मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारण्टी परिषद

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक 9207 / एनआर–3 / आई.एम.पी.सेल / मनरेगा / 2011 भोपाल, दि. 19 / 09 / 2011

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला–समस्त (म.प्र.)

विषयः– **समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट अंतर्गत ग्रामों की विस्तृत कार्ययोजना निर्माण हेतु सांकेतिक कार्ययोजना स्वरूप बावत्।**

विषयांतर्गत समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु चयनित क्लस्टर के प्रत्येक ग्राम की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने बावत पूर्व में निर्देश जारी किये गये है। कुछ जिलों से प्राप्त कार्ययोजना का परीक्षण उपरांत यह पायां गया कि वे मनरेगा प्रावधान तथा समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट अवधारणा के अनुरूप नही है। अतः वांछित उद्देश्यों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने हेतु सांकेतिक अध्याय (Chapters) संलग्न अनुसार तैयार कर प्रेषित किये जा रहे है, जिन्हें समस्त शासकीय एवं अशासकीय पी.आई.ए. को तत्काल उपलब्ध कराये जावे। चयनित क्लस्टर के ग्रामों की स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप आवश्यक समावेश कर कार्ययोजना निर्माण हेतु समयसीमा निर्धारित कर चेकलिस्ट अनुसार परीक्षण उपरांत अवलोकन हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(नीरज मंडलोई)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,
भोपाल

पृ.क्रमांक 9208 / एनआर–3 / आई.एम.पी.सेल / मनरेगा / 2011 भोपाल, दि. 19 / 09 / 2011

प्रतिलिपि,

आयुक्त, समस्त संभाग (म.प्र.)

आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,
भोपाल

244 E:\All Documents\RK Gupta\Letter ALL.doc

समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने हेतु सांकेतिक अध्याय

समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट अंतर्गत मनरेगा के प्रावधान तथा माइक्रोप्रोजेक्ट के उद्देश्यों के दृष्टिगत न्यूनतम सांकेतिक अध्याय अभिलेखित किये गये है। जिन्हें ग्राम/ग्राम पंचायत/क्लस्टर की परिस्थिति के अनुरूप विस्तृत स्वरूप दिया जाकर कार्ययोजना तैयार की जावे। आवश्यकता, नेटप्लानिंग एवं अन्य अपनाई गई विधियों के आधार पर अतिरिक्त चेप्टर/जानकारी सम्मिलित की जा सकेगी।

अध्याय– 01 -

कार्यकारी सारांश (Executive Summary)

कार्ययोजना के प्रथम भाग में बिन्दु क्रमांक–02 से लेकर अंत तक के सारांश संबंधी एक से डेढ़ पेज की टीप तैयार की जाना होगी, जो मुख्यतः कार्ययोजना का सारांश होगा।

अध्याय–02 -

प्रस्तावना

मनरेगा प्रावधानों का उपयोग कर अवधारणा सिद्धांत एवं लक्ष्य के अनुरूप चयनित क्लस्टर की एग्रोक्लाईमेट की आवश्यकतानुसार क्रियान्वयन बावत् संक्षिप्त टीप। ग्राम का समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट एक तरह से ग्राम का पर्सपेक्टिव प्लान होकर अद्यतन शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट होगा। यह अवधारणा मनरेगा के तहत् रोजगार से आजीविका की ओर प्रयास है।

इस हेतु जारी परिपत्र, आदेश, निर्देश तथा प्रशिक्षण में दिखाये गये पावरप्वाइंट प्रस्तुतीकरण का उपयोग किया जावे।

अध्याय–03 -

चयनित क्लस्टर का विवरण

- चयनित ग्राम/ग्राम पंचायत के सेंसस कोड नंबर/ जलग्रहण एटलस अनुसार कोड नं./ क्षेत्रफल का टेबल (उक्त जानकारी हेतु पत्र क्रमांक 6429 दिनांक 17/06/2011 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में)

समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट अंतर्गत चयनित ग्रामों के वाटरशेड एटलस अनुसार कोड नं. तथा पूर्व में जलग्रहण उपचार की स्थिति ज्ञात करने बावत प्रपत्र

जिला.....संभाग.....

क्र.	नियुक्त शासकीय/ अशासकीय संस्था का नाम	विकास खण्ड	क्लस्टर क्रमांक	ग्राम पंचा.	ग्राम का नाम	ग्राम को सेंसस अनुसार कोड नं.	ग्राम का उपचार हेतु चयनित क्षेत्रफल (हैक्टे. में)	वाटरशेड एटलस अनुसार ग्राम जिस वाटरशेड क्षेत्र के अंतर्गत आता है का			ग्राम या ग्राम का क्षेत्रफल यदि पूर्व में वाटरशेड कार्यक्रम अंतर्गत उपचारित है तो					रिमार्क
								मिली वाटरशेड कोड नं.	माइक्रो वाटरशेड कोड नं.	प्राथमिकता वर्ष	योजना मद	ग्राम आंशिक अथवा पूर्ण उपचारित है	परियोजना समाप्ति वर्ष	उपचारित क्षेत्रफल (हैक्टे.में)	व्यय राशि (लाख रू. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

- चयनित क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के भूमि प्रकार अनुसार रकबे की जानकारी निम्न प्रपत्र में दी जावे :–

क्लस्टर की विस्तृत जानकारी							
ग्राम पंचायत	ग्राम	विधानसभा क्षेत्र	शा. वन भूमि	शा. राजस्व भूमि	निजी कृषि भूमि	अन्य	कुल रकबा (हे.में)

- चयनित ग्रामों में यदि पूर्व में किसी योजना के तहत् जलग्रहण उपचार कर कार्य हुआ हो तो उसका इतिहास अद्यतन स्टेटस संबंधी विवरण इत्यादि।
- यदि चयनित क्लस्टर नदी पुनर्जीवन परियोजना के केचमेंट क्षेत्र में आता है, तो उसका संक्षिप्त विवरण दिया जावे।
- पी.आई.ए. टीम
  पी.आई.ए. टीम की जानकारी निम्न प्रारूप में दी जावे।

पी.आई.ए. दल की जानकारी					
पी.आई.ए. सदस्यों के नाम	**पद नाम**	**योग्यता**	**संकाय**	**नियुक्ति दिनांक**	**रिमार्क**

- नक्शे – जिला/विकासखण्ड/टोपोशीट/ड्रेनेज/वाटरशेड एटलस मेप/ मजमूली नक्शे पर लोकेशन/बाउन्ड्री इत्यादि कार्ययोजना में संलग्न किये जावे।

अध्याय–04 -

ग्राम/ग्राम पंचायत/क्लस्टर की मूलभूत जानकारी

- आदेश क्रमांक–03 अनुसार ग्राम की मूलभूत जानकारी संकलित कर सम्मिलित की जावे। इसके अतिरिक्त क्षेत्र विशेष से संबंधित अन्य आधारभूत जानकारी सम्मिलित की जा सकेगी।
- चयनित ग्राम की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, ड्रेनेज पैटर्न, ढलान, मिट्टी प्रकार, भूगर्भीय परिस्थिति, भूजल स्तर, वानस्पातिक आच्छादन, औसत वर्षा, प्रमुख नदी नालों इत्यादि की जानकारी सम्मिलित की जावे।
- ग्राम का जल बजट

अध्याय–05 -

ग्राम पंचायत तथा अन्य गठित समितियों का विवरण

- सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक का पूर्ण विवरण एवं संपर्क नंबर।

अध्याय–06 -

ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति का विवरण

प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति गठित है। जिनके सदस्यों का विवरण ग्राम पंचायत से प्राप्त कर सम्मिलित किया जावे।

अध्याय–07 -

पी.आर.ए. एक्सरसाईज विवरण

उद्देश्य, पी.आर.ए. दिनांक, सम्मिलित प्रतिभागी का विवरण
पी.आर.ए. एक्सरसाईज के विवरण नक्शे इत्यादि कार्ययोजना में संलग्न किये जावे।

- पी.आर.ए. से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण (Analysis)
- संसाधन, उपयोग, समस्या, समाधान, संभावनायें इत्यादि
- रोजगार की आवश्यकता
- अन्य महत्वपूर्ण विवरण/बिन्दुओं का समावेश कार्ययोजना में किया जावे।

अध्याय–08 -

नेटप्लानिंग

- उद्देश्य, नेटप्लानिंग की प्रक्रिया का विवरण, हितग्राहियों की सहभागिता, नियुक्त दल, कुल खसरे/सर्वेक्षित खसरे, कुल परिवार/सर्वेक्षित परिवार का परिषद स्तर से जारी प्रपत्रानुसार कार्यवाही का विवरण दिया जावे।
- नेटप्लानिंग से प्राप्त डाटा अनुसार विश्लेषण(Analysis) का विवरण, खसरावार उपचार कार्य का विवरण प्रदत्त प्रपत्रों में दिया जावे।
- परिवार वार सर्वेक्षण विवरण
- एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुसार विवरण (खरीफ, रबी तथा ग्रीष्म में बोई जाने वाली फसलों का रकबा दर्शाने वाली तालिका), पाई गई स्थिति पर विवरण एवं उत्पादन वृद्धि से सम्बन्धित समस्यायें।
- मिट्टी का गठन और संरचना – नमी बढ़ाने वाले और सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति ।

अध्याय–09 -

उपचार कार्यो का पूर्ण विवरण

नेटप्लानिंग के आधार पर समस्त निजी एवं शासकीय भूमि पर चिन्हांकित उपचार कार्यो को निम्न तालिका अनुसार सूचीबद्ध किया जावे :–

क्र.	ग्राम का नाम	उपचार कार्य का विवरण	कार्यस्थल	निजी/ सामुदायिक भूमि	अनुमानित लागत (लाख में)	प्रस्तावित योजना/ राशि मद	संबंधित विभाग	यदि अभिसरण आवश्यक हो तो प्रस्तावित योजना मद	प्रस्तावित कार्य एजेंसी	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

उक्त सूची में समस्त प्रकार के कार्य सम्मिलित किये जायेंगे। सूची में से मनरेगा प्रावधान के अनुरूप लिये जा सकने वाले कार्यो को चयन कर शेष कार्यो हेतु ग्रामीण विकास एवं अन्य संभावित विभागीय योजनाओं से लिये जा सकने बावत् परीक्षण कर चिन्हांकित किया जावे। मनरेगा मद के अतिरिक्त लिये जाने वाले कार्यो को सूचीबद्ध कर जिले द्वारा संबंधित विभागों को लेख किया जावेगा। ताकि संबंधित विभाग की योजना मद में राशि की उपलब्धता अनुसार समय–समय पर कार्य स्वीकृत हो सकेंगे। जिनका क्रियान्वयन संबंधित विभाग के दिशानिर्देशानुसार किया जावेगा।

अध्याय–10 –

मनरेगा के अंतर्गत प्रावधानित कार्य एवं गतिविधियॉ निम्नानुसार है :–

क्र.	कार्य एवं गतिविधियां
(1)	**जल संवर्धन एवं संरक्षण** **(Water conservation & water harvesting)**
	नालाबंधान, परकोलेशन तालाब निर्माण, गेबियन संरचना, तालाब निर्माण, स्टापडेम/आरएमएस/ चेकडेम/ड्रॉप स्पिेल वे, सोकपिट, खेत तालाब, निर्मल नीर उपयोजना अंतर्गत पेयजल कूप, भूमिगत डाईक इत्यादि
(2)	**सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं वृक्षारोपण सहित)** **(Drought proofing, including afforestation and tree plantation)**
	वानिकी वृक्षारोपण, उद्यानिकी वृक्षारोपण, चारागाह विकास, वन्या उपयोजना, रेशम उपयोजना, शांतिधाम उपयोजना, कामधेनु उपयोजना
(3)	**सिंचाई, नहर (माइक्रो एवं लघु सिंचाई कार्यो सहित)** **(Irrigation canals, including micro and minor irrigation works)**
	नहर निर्माण, सहस्त्रधारा उपयोजना (नहर मरम्मत एवं वाटरकोर्स निर्माण)

क्र.	कार्य एवं गतिविधियां
(4)	**पात्र हितग्राही (अनुसूचित जाति, जनजाति, बीपीएल, इंदिरा आवास तथा भूमि सुधार के लाभांवित हितग्राही, लघु एवं सीमांत कृषक) की निजी भूमि पर सिंचाई सुविधा, वृक्षारोपण, उद्यानिकी एवं भूमि सुधार (Provision of irrigation facility, plantation, horticulture, land development to land owned by households belonging to the SC/ST, or to land of the beneficiaries of land reforms, or to land of the beneficiaries under the Indira Awas Yojna/BPL families)**
	कपिलधारा उपयोजना (नवीन कूप, पुर्नभरण व्यवस्था के साथ/स्टापडेम/ आरएमएस/ खेततालाब निर्माण), नंदन फलोद्यान उपयोजना, भूमि शिल्प उपयोजना (मेड़ बंधान जल निकास मार्ग सहित), निर्मल वाटिका उपयोजना, मीनाक्षी उपयोजना (लघु तालाब)
(5)	**परम्परागत जल स्त्रोत संरचनाओं का पुनरूद्धार (तालाबों से गााद निकालने सहित) (Renovation of traditional water bodies, including de-silting of tanks)**
	तालाबों की गाद निकालना, नहरों की गाद निकालना, शासकीय कूप/बावडी की गाद निकालना, पुराने तालाबों की मरम्मत/ क्षमता वर्धन/जीर्णोद्धार इत्यादि
(6)	**भूमि विकास के कार्य (Land development works)**
	भूमि समतलीकरण, शैलपर्ण उपयोजना, ग्रामीण क्रीडागन उपयोजना, वानस्पतिक अवरोधक, गली प्लग (बोल्डर), गली प्लग (मिट्टी), कंटूर ट्रेंच, कंटूर बंड, कंटूर बोल्डर वाल
(7)	**बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी संबंधी कार्य (Flood-control and protection works, including drainage in waterlogged areas)**
	प्रोटक्शन वॉल निर्माण, प्रोटक्शन वॉल सुधार, वाटर लॉग क्षेत्र में जल नियंत्रण कार्य
(8)	**बारह मासी ग्रामीण पहुंच मार्ग (Rural connectivity to provide all-weather access)**
	सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण
(9)	**केन्द्र शासन द्वारा राज्य शासन के परामर्श से अधिसूचित अन्य कोई कार्य (Any other work that may ve notified by the Central Government in consultation with the State Government)**
	वर्तमान में उक्त कार्य प्रकार के अंतर्गत कोई गतिविधि या कार्य चिन्हांकित नही है।

- जल संवर्धन एवं जल संरक्षण मद में नमी संरक्षण गतिविधियों को जोडा जावे। भूजल रीचार्ज के लिये स्थानीय भूवैज्ञानिक परिस्थितियों एवं उपलब्ध संरचनाओं की उपयुक्तता की संभावनाओं के अनुसार नवाचारों का प्रावधान हो।
- सूखे के रोकथाम के लिये गतिविधियाँ उल्लेखित कर सम्मिलित की जावें।
- परम्परागत जल स्त्रोत संरचनाओं के पुनरूद्धार के अन्तर्गत उनकी मूल भूमिका बहाली के लिये संभव कामों को जोडा जावे।

अभिसरण (कन्वरजेंस) से लिये जा सकने वाले संभावित कार्य :–

भारत सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं को मनरेगा से अभिसरण करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। इसके आधार पर जिले की परिस्थिति अनुरूप निम्न विभागों/योजनाओं के कार्यो से अभिसरण कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकते है:–

क्र.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मनरेगा मद से प्रस्तावित गतिविधि	गतिविधि का विवरण	मनरेगा तथा योजना अभिसरण	
					मनरेगा मद से अंशदान	विभागीय योजना मद से अंशदान
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्रामीण विकास विभाग	समग्र स्वच्छता अभियान	निर्मल वाटिका उपयोजना	लीज पिट निर्माण एवं पौधरोपण	शतप्रतिशत	शौचालय निर्माण योजना मद से
2	मत्स्य विभाग	मत्स्य पालन	मीनाक्षी उपयोजना	निजी भूमि पर निर्मित तालाबों में मत्स्य पालन द्वारा आजीविका का सुदृणीकरण।	शतप्रतिशत	प्रशिक्षण तकनीकी मार्गदर्शन तथा पात्रतानुसार मत्स्य पालन सामग्री विभागीय स्तर से

क्र.	विभाग का नाम	योजना का नाम	मनरेगा मद से प्रस्तावित गतिविधि	गतिविधि का विवरण	मनरेगा तथा योजना अभिसरण	
					मनरेगा मद से अंशदान	विभागीय योजना मद से अंशदान
1	2	3	4	5	6	7
3	जलसंसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	माइक्रो एवं माईनर नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधा	सहस्त्रधारा उपयोजना	पानी के स्त्रोंतो से नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा	शतप्रतिशत	तकनीकी मार्गदर्शन
4	आदिम जाति कल्याण विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग	पंप प्रदाय	कपिलधारा उपयोजना	मनरेगा उपयोजना से पात्र हिताग्राहियों की निजी भूमि में निर्मित कूप से लाभांवित पात्र हितग्राहियों को उद्वहन सिंचाई हेतु उर्जीकरण	–	शतप्रतिशत
5	रेशम विभाग	रेशम पालन	रेशम एवं वन्या उपयोजना	पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर शहतूत प्रजाति के वृक्षों का रोपण तथा सामुदायिक भूमि पर अर्जुन एवं साल के पेडों पर कोसा उत्पादन	शत प्रतिशत	प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन
6	कृषि विज्ञान केन्द	–	मनरेगा मद से प्रावधानित कार्य अनुसार	कृषि प्रक्षेत्रों का विकास	शतप्रतिशत	प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन
7	जलसंसाधन विभाग	परंपरागत जलस्त्रोतों का जीर्णोद्धार	मनरेगा मद से प्रावधानित कार्य अनुसार	परंपरागत जलस्त्रोतों का जीर्णोद्धार/ मरम्मत इत्यादि	प्रावधान अनुसार	प्रावधानानुसार
8	वन विभाग	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	मनरेगा मद से प्रावधानित कार्य अनुसार	वन भूमि में जल संरक्षण कार्य, वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास	शतप्रतिशत	तकनीकी मार्गदर्शन
9	ग्रामीण विकास विभाग	बी.आर.जी.एफ. योजना	मनरेगा मद से प्रावधानित कार्य अनुसार	बारहमासी ग्रामीण सडकों तथा पुल पुलियों का निर्माण	प्रावधान अनुसार	प्रावधानानुसार
10	योजना आयोग	विधायक निधि मद	मनरेगा मद से प्रावधानित कार्य अनुसार	मनरेगा तथा विधायक निधि से आंतरिक सीसी मार्गो का निर्माण(60:40 अकुशल श्रम/सामग्री सीमा में)	33 प्रतिशत	67 प्रतिशत
11	उद्यानिकी विभाग	राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मनरेगा मद से प्रावधानित कार्य अनुसार	उद्यानिकी गतिविधियॉ तथा रोपणी स्थापना	प्रावधान अनुसार	प्रावधानानुसार

समस्त प्रकार के चिन्हांकित उपचार कार्यो में से केवल मनरेगा अंतर्गत 8 श्रेणी में लिये जा सकने वाले कार्यो का विवरण

क्र.	ग्राम का नाम	उपचार कार्य का विवरण	कार्यस्थल	निजी/ सामुदायिक भूमि	अनुमानित लागत (लाख में)	कार्यवार संभावित अकुशल श्रम प्रतिशत	संभावित सृजित होने वाले रोजगार मानव दिवस संख्या	कार्य के क्रियान्वयन हेतु संभावित अवधि	प्रस्तावित कार्य एजेंसी	कार्य श्रेणी (8 श्रेणी में से क्रमांक से उल्लेखित किया जावे)	यदि अभिसरण आवश्यक हो तो प्रस्तावितयोजना मद	संबंधित विभाग	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

अध्याय–11

कार्य प्रकृति अनुसार संभावित कार्य एजेंसी निर्धारण

कार्य की प्रकृति अनुसार मनरेगा कार्यो के लिये संभावित कार्यवार एजेंसी का निर्धारण हेतु सुझाव निम्नानुसार है। प्रत्येक कार्य के लिये क्रियान्वयन एजेंसी का निर्धारण जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित किया जावेगा :–

क्र.	कार्य एवं गतिविधियां	संभावित क्रियान्वयन एजेंसी
(1)	**जल संवर्धन एवं संरक्षण**	
1	नालाबंधान	पीआईए/ग्राम पंचायत
2	परकोलेशन तालाब निर्माण	पीआईए/ग्राम पंचायत
3	गेबियन संरचना	पीआईए
4	तालाब निर्माण	पीआईए/ग्रा.पं./लाईन विभाग
5	मेड़ बंधान	पीआईए
6	स्टापडेम/आरएमएस/ चेकडेम/ड्रॉप स्पिेल वे	पीआईए/लाईन विभाग
7	मोघाबांध (हवेली पद्धति)	पीआईए
8	सोकपिट	पीआईए/ग्राम पंचायत
9	खेत तालाब	पीआईए
10	निर्मल नीर उपयोजना अंतर्गत पेयजल कूप	ग्राम पंचायत
11	भूमिगत डाईक	पीआईए
12	रिचार्जिंग शाफ्ट	पीआईए
13	डायवर्सन ड्रेन	पीआईए
14	अन्य	
(2)	**सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं वृक्षारोपण सहित)**	
1	वानिकी वृक्षारोपण	पीआईए
2	उद्यानिकी वृक्षारोपण	पीआईए
3	चारागाह विकास	पीआईए
4	रतनजोत रोपण	पीआईए/ग्राम पंचायत
5	वन्या उपयोजना	पीआईए
6	रेशम उपयोजना	पीआईए
7	शांतिधाम उपयोजना	ग्राम पंचायत
8	अन्य (नाम लिखें)	
(3)	**सिंचाई, नहर (माइक्रो एवं लघु सिंचाई कार्यो सहित)**	
1	नहर निर्माण	पीआईए/लाईन विभाग
2	सहस्त्रधारा उपयोजना (नहर मरम्मत एवं वाटरकोर्स निर्माण)	पीआईए/लाईन विभाग
3	अन्य (नाम लिखें)	
(4)	**पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर सिंचाई सुविधा, वृक्षारोपण, उद्यानिकी एवं भूमि सुधार**	
1	कपिलधारा उपयोजना (नवीन कूप, पुर्नभरण व्यवस्था के साथ/स्टापडेम/ आरएमएस/ खेततालाब निर्माण)	ग्राम पंचायत
2	नंदन फलोद्यान उपयोजना	पीआईए/ग्राम पंचायत
3	भूमि शिल्प उपयोजना (मेड़ बंधान जल निकास मार्ग सहित)	पीआईए/ग्राम पंचायत
4	निर्मल वाटिका उपयोजना	पीआईए/ग्राम पंचायत
5	मीनाक्षी उपयोजना (लघु तालाब)	पीआईए/ग्राम पंचायत

क्र.	कार्य एवं गतिविधियां	संभावित क्रियान्वयन एजेंसी
(5)	**परम्परागत जल स्त्रोत संरचनाओं का पुनरूद्धार (तालाबों से गााद निकालने सहित)**	
1	तालाबों की गाद निकालना	पीआईए/ग्रा.पं./लाईन विभाग
2	नहरों की गाद निकालना	पीआईए/लाईन विभाग
3	शासकीय कूप/बावडी की गाद निकालना	ग्राम पंचायत
4	पुराने तालाबों की मरम्मत/ क्षमता वर्धन/जीर्णोद्धार इत्यादि	पीआईए/लाईन विभाग
(6)	**भूमि विकास के कार्य**	
1	भूमि समतलीकरण	पीआईए/ग्राम पंचायत
2	शैलपर्ण उपयोजना	पीआईए/ग्राम पंचायत
3	ग्रामीण क्रीडागन उपयोजना	ग्राम पंचायत
4	वानस्पतिक अवरोधक	पीआईए
5	गली प्लग (बोल्डर)	पीआईए/ग्राम पंचायत
6	गली प्लग (मिट्टी)	पीआईए/ग्राम पंचायत
7	कंटूर ट्रेंच	पीआईए
8	कंटूर बंड	पीआईए
9	कंटूर बोल्डर वाल	पीआईए
10	अन्य (नाम लिखें)	
(7)	**बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी संबंधी कार्य**	
1	प्रोटक्शन वॉल निर्माण	पीआईए/लाईन विभाग
2	प्रोटक्शन वॉल सुधार	पीआईए/लाईन विभाग
3	वाटर लॉग क्षेत्र में जल नियंत्रण कार्य	पीआईए/लाईन विभाग
(8)	**बारह मासी ग्रामीण पहुंच मार्ग**	
1	सड़क निर्माण	ग्राम पंचायत/लाईन विभाग
2	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत/लाईन विभाग

अध्याय–12 -

ग्राम पंचायत का वार्षिक लेबर बजट

प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर वार्षिक लेबर बजट तैयार करने हेतु निर्धारित प्रपत्रों में गणना की जाती है। उन्हीं प्रपत्रों के अनुसार जानकारी कार्ययोजना में संकलित की जावे। यह जानकारी ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत स्तर से प्राप्त की जावे। लेबर बजट की गणना ग्रामवार न की जाकर ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में की जाती है।

LABOUR ESTIMATE AND PREPARING A SHELF OF WORKS FOR THE NEXT YEAR -……..

District		Block		Gram Panchayat	
PIA		Cluster		Village	
Total Job cards Issued		Minimum Wages Rs		Total Rural BPL HHs(as per census 2001)	

PART - I

MONTH	No. of Households likely to demand employment in Next Financial Year	Estimated no of days of employment to be provided per Household	No of Total Person days likely to be generated in Next Financial Year	Estimated Total Expenditure in Next Financial Year (in lakhs)	No of Households likely to complete 100 days in Next Financial Year
April					
May					
June					
July					
August					
September					
October					
November					
December					
January					
February					
March					

PART - II

Shelf of works Through which employment to be provided	Total no of spill over works form previous Year	Total no of new works taken up in current Year	No of works likely to spill over from current financial Year to next Financial	No of new works Proposed for next Financial Year	Unit (Cu-Mts. / Hectare / Km.)	Person days to be Generated	Estimated Cost (Rs. Ln Lakhs)		
							On unskilled wage	On material including skilled and semi-skilled Wages	Total
Water Conservation and Water Harvesting (Cu Mts)									
Drought Proofing including afforestation (Hectare)									
Micro Irrigation Works (Hectare)									
Provision of Irrigation facility to land owned by SC/ST beneficiaries of land reform & IAY allotees (Hectare)									
Renovation of traditional water bodies (Cu Mts)									
Land development including plantation (Hectare)									
Flood Control and protection (Km)									
Rural Connectivity (Km)									

अध्याय–13 –

वार्षिक लेबर बजट के आधार पर वार्षिक कार्ययोजना का निर्धारण

वार्षिक लेबर बजट अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में लिये जाने वाले कार्यो में से कार्यो का चयन कर वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाती है। उदाहरण के लिये किसी एक ग्राम पंचायत में लेबर बजट अनुसार संभावित मानव दिवस सृजन संख्या 1000 हो तो करीब 1500 मानव दिवस सृजन हेतु वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाना होगी। वार्षिक कार्ययोजना में लिये जाने वाले कार्यो का निर्धारण गत वर्ष के अपूर्ण कार्यो से सृजित होने वाले मानव दिवस तथा नवीन लिये जाने वाले कार्य जिनका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत/पी.आई.ए./लाईन विभाग के माध्यम से किया जावेगा, अनुसार सृजित होने वाले मानव दिवस का पूर्ण आंकलन कर निर्धारित किये जाना होंगे। तीन वर्षो में लिये जाने वाले कार्यो के आधार पर प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कार्ययोजना निम्न प्रपत्र में वर्षवार पृथक–पृथक तैयार की जावे। वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन प्रतिवर्ष त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

अध्याय–14 -

मनरेगा प्रावधान के अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्यो में से वार्षिक लेबर बजट के आधार पर संभावित रोजगार दिवस सृजन हेतु ग्राम पंचायत/पीआईए/लाईन विभाग द्वारा लिये जा सकने वाले कार्यो के लिये वार्षिक कार्ययोजना प्रारूप

क्र.	ग्राम का नाम	उपचार कार्य का विवरण	कार्यस्थल	निजी/सामुदायिक भूमि	अनुमानित लागत (लाख में)	कार्यवार संभावित अकुशल श्रम प्रतिशत	संभावित सृजित होने वाले रोजगार मानव दिवस संख्या	कार्य के क्रियान्वयन हेतु संभावित अवधि	प्रस्तावित कार्य एजेंसी	कार्य श्रेणी (8 श्रेणी में से क्रमांक से उल्लेखित किया जावे)	यदि अभिसरण आवश्यक हो तो प्रस्तावित योजना मद	संबंधित विभाग	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

उक्त प्रारूप में गत वर्ष के अपूर्ण कार्यो के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष हेतु लिये जाने वाले आवश्यक नवीन कार्यो का चिन्हांकन कर आगामी तीन वर्ष हेतु पृथक–पृथक वर्षवार संभावित कार्ययोजना तैयार की जावे, जिनका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत/पीआईए/लाईन विभाग के माध्यम द्वारा किया जाना है। शेष मनरेगा प्रावधान के तहत् लिये जा सकने वाले कार्य उस ग्राम पंचायत क्षेत्र हेतु आगामी वर्षो हेतु शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट रहेगा।

मनरेगा अंतर्गत लिये जाने वाले कार्यो में प्रति श्रमिक प्रति दिवस टॉस्क की गणना दिनांक 01 जुलाई 2011 से जारी संशोधित टॉस्क अनुसार की जावे। यह जानकारी जिला पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय तथा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अध्याय–**15**

मनरेगा अंतर्गत लिये जाने वाले कार्यो को कार्यवार यूनिक कोड प्रदाय किया जाना :–

- प्रत्येक कार्य का 15 अंकों का यूनिक कोड दिया जाना है। 15 अंकों में प्रथम दो अंक जिले का कोड जो राज्य स्तर से निर्धारित है। अगले तीन अंक विकासखण्ड, ग्राम पंचायत हेतु तीन अंक, योजना के दो अंक, कार्य के तीन अंक तथा वर्ष के दो अंक मिलाकर कुल 15 अंक का कोड होता है।
- वर्क कोड के तीन अंकों में ग्राम, जनपद तथा जिला स्तर से स्वीकृत कार्यो की वर्ष में संभावित स्वीकृति संख्या के मान से कोड रखा जा सकता है जैसे ग्राम पंचायत हेतु 100–199, जनपद पंचायत हेतु 200–299 तथा जिला स्तर हेतु 300–399 रखा जा सकता है। प्रत्येक स्तर की रेंज वर्ष में संभावित स्वीकृति स्तर के दृष्टिगत जिलेवार निर्धारित की जावें।
- उदाहरण के लिये धार जिले के बदनावर विकासखण्ड में वर्ष 2010 में ग्राम, जनपद तथा जिला स्तर से स्वीकृत पृथक–पृथक कार्यो का कोड निम्नानुसार होगा :– धार जिले में कुल 13 जनपद पंचायत है जिसमें बदनावर जनपद पंचायत का क्रम 13वें स्थान पर है।

  ग्राम पंचायत स्तर से स्वीकृत कार्य का कोड – 22 (धार जिले का कोड) 013 (बदनावर विकासखण्ड का कोड) 025 (किसी एक ग्राम पंचायत का कोड) EG (योजना का कोड) 175 (वर्क कोड) 11 (वर्ष 2011का कोड)

  = 22013025 EG17511

अध्याय–16 -

उपचार कार्यो के क्रियान्वयन के परिणाम हेतु संकेतक

संकेतक	परियोजना पूर्व	परियोजना पश्चात्		
		प्रथम वर्ष अंत तक	द्वितीय वर्ष अंत तक	तृतीय वर्ष अंत तक
रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या				
वर्षवार सृजित मानव दिवस संख्या				
100 दिवस रोजगार प्रदाय परिवारों की संख्या				
प्रति जॉबकार्ड प्रदाय औसत कार्य दिवस संख्या				
पलायन करने वाले परिवारों की संख्या				
अभिसरण से लिये गये कार्यो की संख्या				
जलसंग्रहण क्षमता (क्यूबिक मीटर)				
पड़त भूमि(Wasteland)(है.में)				
पात्र हितग्राहियों को निजी भूमि पर निर्मित सिंचाई स्त्रोत संख्या				
सिंचित क्षेत्र (है.में)				

रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की स्थिति के बदलाव की हर साल समीक्षा की जाना चाहिये। यह समीक्षा प्रयासों की दशा बतावेगी और आने वाले समय में उन्हे आगे बढ़ाने में मदद करेगी। यही समीक्षा अभिसरण, पडत भूमि और सिंचित क्षेत्र के लिये करना उचित होगा।

अध्याय–17 –

आजीविका कार्ययोजना

नेटप्लानिंग में परिवार वार किये गये सर्वेक्षण के आधार पर लक्षित समूह (लघु एवं सीमांत कृषक तथा भूमिहीन परिवार हेतु)आजीविका कार्ययोजना निम्न प्रपत्र में तैयार की जावे :–

क्र.	सेक्टर	सर्वेक्षित परिवार संख्या	चयनित हितग्राही का विवरण	ग्राम का नाम	जाति वर्ग	बीपीएल (हां/नही)	लघु/सीमांत कृषक (हां/नही)	गतिविधि का विवरण	गतिविधि सामूहिक है अथवा व्यक्तिगत	प्रस्तावित योजना	संबंधित विभाग का नाम	संभावित क्रियान्वयन वर्ष	आजीविका गतिविधि से संभावित आय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

आजीविका की स्थिति की हर साल समीक्षा की जाना चाहिये। यह समीक्षा प्रयासों की दशा बतावेगी और आने वाले समय में उन्हे आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

अध्याय–18 -

लक्षित परिवारों हेतु चिन्हांकित आजीविका गतिविधियों के परिणाम हेतु संकेतक

संकेतक	परियोजना पूर्व	परियोजना पश्चात्		
		प्रथम वर्ष अंत तक	द्वितीय वर्ष अंत तक	तृतीय वर्ष अंत तक
1. आजीविका गतिविधियों में संलग्न परिवारों की संख्या				
(1.1) भूमिहीन परिवार				
(1.2) लघु कृषक				
(1.3) सीमांत कृषक				
(1.4) बीपीएल परिवार				
2. आजीविका गतिविधियों से औसत वार्षिक आय में वृद्धि (राशि रू.में)				
(2.1) भूमिहीन परिवार				
(2.2) लघु कृषक				
(2.3) सीमांत कृषक				
(2.4) बीपीएल परिवार				
3. पलायन में प्रतिशत कमी				
(3.1) भूमिहीन परिवार				
(3.2) लघु कृषक				
(3.3) सीमांत कृषक				
(3.4) बीपीएल परिवार				

1. इसे हर साल करना चाहिये।
2. इसे हर साल करना चाहिये तथा प्रत्येक परिवार की आय की वृद्धि के आधार पर प्रयासों को बढ़ाया जा सकता है।
3. इसे हर साल करना चाहिये ताकि प्रत्येक परिवार की पलायन की वस्तुस्थिति के आधार पर बचे परिवारों के लिये प्रयासों को बढ़ाया जा सकता है।

अध्याय–19 -

''**मनरेगा अंतर्गत लिये जाने वाले कार्यो का 01 जुलाई 2011 से लागू टॉस्क अनुसार कार्यवार प्राक्कलन, ड्राईंग इत्यादि कार्ययोजना में सम्मिलित किये जावे।** प्रत्येक प्राक्कलन में कांटेजेंसी मद के अतिरिक्त आधा प्रतिशत राशि पेयजल एवं आधा प्रतिशत राशि छाया तथा झूलाघर हेतु अनिवार्यतः प्रावधानित की जावे। उपकर हेतु राशि का प्रावधान नही किया जाना है।''

अन्य संलग्न किये जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज :–

1. त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्था (ग्रामसभा, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्तर से) कार्ययोजना के अनुमोदन की छायाप्रति।
2. जिला स्तरीय तकनीकी समिति से कार्ययोजना का तकनीकी अनुमोदन की छायाप्रति।
3. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक से प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन की छायाप्रति।
4. परिषद् स्तर से जारी सांकेतिक चेकलिस्ट अनुसार परियोजना एवं जिला स्तर से परीक्षण उपरांत ग्रामवार चेकलिस्ट संलग्न की जावे।
5. ग्राम के खसरा नक्शे पर मनरेगा से प्रावधानित गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण।
6. अशासकीय संस्था द्वारा आदेश क्रमांक–04 अनुसार किये गये अनुबंध की छायाप्रति संलग्न की जावे।

———————————————————